

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक-3/प.क./सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक

:- आदेश :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर के अधीन, नवनिर्मित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र में विशेष पिछड़ी जनजाति "सहारिया" की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिये दो वर्षीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2018-19 में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।

संयुक्त संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक-3/प.क./सेल-2/2018/558

भोपाल, दिनांक 26-05-2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्रीजी म0प्र0 शासन भोपाल।
2. विशेष सहायक, मा0मंत्रीजी म0प्र0शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मा0राज्य मंत्रीजी म0प्र0शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
4. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली।
5. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य, म0प्र0।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
9. कलेक्टर, जिल्हा-अशोकनगर, म0प्र0।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप दो वर्षीय ए0एन0एम0 प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2018-19 आरंभ करने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ तत्काल कर सूचित करें।
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद, गोवन्तिका परिसर, जवाहरचौक भोपाल म0प्र0।

12. प्रमोदी, कृष्णरावरावराव रावराव रावराव रावराव

Man 28/5/18

संयुक्त संचालक (परिवार कल्याण)